न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ (चूरू)

ब इजलास पंकज गढ़वाल R.A.S.

वाद संख्या - 109/2020 जी.सी.एम.एस नम्बर - 2020/00132

निर्णय दिनांक - 26.8.2020

राजेश कुमार पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी भैंसली तहसील राजगढ़ जिला चूरू राजस्थान
- वादी

बनाम

1. रामसिंह पुत्र लोकराम जाति जाट निवासी भैंसली तहसील राजगढ़ जिला चूरू राजस्थान
2. श्रीमान तहसीलदार साहब (उप पंजीयक) राजगढ़ जिला चूरू

-प्रतिवादीगण

3. संजय कुमार पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी भैंसली तहसील राजगढ़ जिला चूरू
4. केलापति
5. सन्तोष
6. शान्ति
7. मूर्ती
8. राजबाला

(4–8) पुत्रियाँ रामसिंह जाति जाट निवासी भैंसली तहसील राजगढ़ जिला चूरू

- गौण प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक व चिरस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट.

उपस्थित :-

1. श्री अजयसिंह अधिवक्ता वास्ते वादी
2. " विरेन्द्रसिंह अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादी सं. 1 व गौण प्रतिवादी सं. 3 से 8
3. पैरोकार राज वास्ते प्रतिवादी सं. 2

निर्णय

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादी द्वारा यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट इस आशय का पेश किया कि विवादित

-2-

... ख.न. 385 तादादी 19 बीघा 19 बिस्वा ख.न. 388 तादादी 68 बीघा 12 बिस्वा ख.न. 430 तादादी 52 बीघा 15 बिस्वा कुल तादादी 141 बीघा 6 बिस्वा वाके रोही भैंसली तहसील राजगढ़ जिला चूरू वादी के दादा लोकराम व उसके भाई हरिया के खातेदारी में थी। लोकराम के जीवनकाल में उक्त कृषि भूमि बाबत दावा माननीय न्यायालय एस.डी.ओ. राजगढ़ में विचाराधीन था उक्त वाद में दावा के विचारण के दौरान लोकराम की मृत्यु होगई जिस कारण उक्त वाद पत्र में लोकराम के वारिस होने के कारण हरनारायण व रामसिंह पक्षकार वाद बने। उक्त वाद के निर्णय होने पर हरनारायण व रामसिंह के नाम खातेदारी दर्ज हुवे। गत ख० न० के वर्तमान खसरा न. 1000/852, 850, 995/304, 998/504 मौजूद हुए। उक्त खसरा वादी व गौण प्रतिवादीगण के पिता रामसिंह के खातेदारी में दर्ज है विवादित कृषि भूमि ख० न० 1000/852 तादादी 3.42 है० ख० न० 850 तादादी 0.100 है० ख.न. 995/304 तादादी 0.11 है० ख.न. 998/594 तादादी 4.33 है० कुल तादादी 7.87 है० वाके रोही भैंसली तहसील राजगढ़ जिला चूरू में स्थित है उक्त कृषि भूमि का काश्तकार वादी का दादा लोकराम था जिसके स्वर्गवास के बाद नामान्तरकरण दर्ज होने के बाद वादी के पिता रामसिंह उक्त कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार हुए। यही विवादित कृषि भूमि की मुलाहिजा जमाबन्दी सम्वत 2074-77 संलग्न वाद है।

उक्त विवादित कृषि भूमि कोपार्सनरी जायदाद रही है। वादी प्रतिवादी सं. 1 व गौण प्रतिवादीगण हिन्दू धर्म को मानने वाले है तथा मिताक्षरा शाखा से शासित होते है जिस कारण मौरूसी जायदाद में प्रत्येक सदस्य का हिस्सा बराबर जन्म से अंशदायी होता है। उक्त कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से में वादी का 1/8 हिस्सा व गौण प्रतिवादीगण प्रत्येक का 1/8 हिस्सा के काश्तकार खातेदार दर्ज होने चाहिए थे। इसी अनुसार वादी विवादित कृषि भूमि में अपने पिता रामसिंह के हिस्से में से 1/8 हिस्सा व हिस्सा के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है जिस हेतु यह वाद घोषणात्मक पेश किया जा रहा है आदि-आदि पेश कर घोषणा व चिरस्थाई निषेधाज्ञा बाबत अनुतोष चाहा गया।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जा कर प्रतिवादीगण को नियमानुसार तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 व गौण प्रतिवादी सं. 3 ता 8 जरिए अधिवक्ता उपस्थित आये व राजीनामा व इकबाल दावा पेश किया। प्रतिवादीगण की ओर से वादपत्र के अभिकथनों का कोई खण्डन पेश

उपखण्ड अधिकारी

नहीं हुआ। राजहित प्रभावित होने की कोई संभावना नहीं है। अतः विवाद्यक विरचित नहीं किये गये।

बहस फुल्ल पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजात नामान्तरकरण, जमाबन्दी सम्वत 2025, 2030-33 मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2062 से वादगत विवादित कृषि भूमि पुश्तैनी जायदाद होना प्रमाणित है। पक्षकारान का आपस में राजीनामा व वाद स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है। अतः वाद वादी घोषणा की हद तक स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः वाद वादी घोषणा की हद तक स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि कृषि भूमि ख० न० 1000/852 तादादी 3.42 है० ख० न० 850 तादादी 0.0100 है० ख० न० 995/304 तादादी 0.11 है० ख० न० 998/594 तादादी 4.33 है० कुल तादादी 7.87 है० वाके रोही मैसली तहसील राजगढ़ जिला चूरू में प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से में वादी का 1/8 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 का 1/8 हिस्सा तथा गौण प्रतिवादीगण प्रत्येक 1/8 - 1/8 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना - अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 26.8.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)